सत्यमेव जयते

जैविक खेतीको बढ़ावा देने संबंधी योजनाएं

SCHEMES FOR PROMOTION OF ORGANIC FARMING

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
(आईएनएम डिविजन)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE
(INM DIVISION)

मृदा स्वास्थ्य, संसाधन संरक्षण और सुरक्षित भोजन हेतु

जैविक खेती

भारत सरकार सतत उत्पादकता, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, संसाधन संरक्षण और मृदा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष **2015** से जैविक खेती को दो योजनाओं, अर्थात परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (एमओवीसीडीएनईआर) के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।

1. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)

पीकेवीवाई योजना राज्य सरकारों के माध्यम से न्यूनतम 20 हेक्टेयर क्षेत्र में सामूहिक रूप में (क्लस्टर मोड) में कार्यान्वित की जाती है। सामूहिक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने और उपज को बाजार से जोड़ने के लिए ऐसे 25-50 समूहों को 500 से 1000 हेक्टेयर क्लस्टर समूह बनाने के लिए एक ग्रुप में रखा जाता है। पीजीएस-इंडिया के तहत प्रमाणन गुणवत्ता आश्वासन का आधार है। पीकेवीवाई एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जिसके अन्तर्गत मैदानी राज्यों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 60:40 के अनुपात में तथा पहाड़ी राज्यों में 90:10 के अनुपात में फंड उपलब्ध कराया जाता है। पीकेवीवाई और इसकी उप-योजनाएं 8 पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में लागू हैं ।

उद्देश्य :

1. प्राकृतिक संसाधन आधारित एकीकृत एवं प्रत्येक जलवायु में सतत कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए खेत में ही पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण पर जोर देना और बाहरी आदानों पर निर्भरता को कम करना;
2. खेती की लागत कम करना;
3. स्थायी रूप से रसायन-मुक्त और पौष्टिक भोजन का उत्पादन करना;
4. पर्यावरण को खतरनाक अकार्बनिक रसायनों से बचाना;
5. उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और प्रमाणन प्रबंधन के प्रबंधन की क्षमता वाले समूहों और समूहों के रूप में अपने स्वयं के संस्थागत विकास द्वारा किसानों को सशक्त बनाना;
6. स्थानीय एवं राष्ट्रीय बाजारों के साथ सीधे संपर्क द्वारा किसानों को उद्यमी बनाना।

सहायता -घटक और पैटर्न:

घटक	रु./हेक्टेयर (3 वर्षों के लिए)	लागत (रु. में. प्रति 20 हेक्टेयर क्लस्टर)
क्लस्टर निर्माण तथा क्षमता निर्माण	3000	60,000/-
मैनपॉवर-वितरण एवं कार्यान्वयन-प्रबंधन	4500	90,000/-
पीजीएस प्रमाणन -- क्षेत्रीय परिषद और अवशेष-विश्लेषण संबंधी सेवा शुल्क	2700	54,000
किसानों को डीबीटी या इनपुट के रूप में प्रोत्साहन	31,000	620,000
मार्केटिंग, पैकेजिंग, स्पेस रेंट, परिवहन-सुविधा	1500/ha	30,000
मूल्य-वर्धन संबंधी सुविधाएं	2,000/ha	40,000
ब्रांड निर्माण, व्यापार मेले, प्रचार, विपणन सहायता	5300/ha	1,06,000
कुल	50,000/ha	10,00,000

लाभ कैसे प्राप्त करें और योजना से कैसे जुड़ें-

दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में जैविक खेती को अपनाने के इच्छुक किसान राज्य स्तर पर कृषि निदेशक और स्थानीय स्तर पर जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। **नमामि गंगे** कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के किनारे **5** किमी बेल्ट को भी जैविक रूपांतरण के लिए लक्षित किया गया है। इन क्षेत्रों के किसान अपने जिला कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।

Organic Farming

For soil health, resource conservation and safe food

Govt of India is committed to promote Organic Farming to ensure sustainable productivity, food and nutritional security, resource conservation and soil health.Organic farming is being promoted through two schemes i.e. Paramparagat KrishiVikasYojana (PKVY) and Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region (MOVCDNER) since 2015.

1. Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY)

The PKVY Scheme is implemented through state Governments in cluster mode with minimum 20 ha area.To ensure collective approach and link the produce to market 25-50such clustersare grouped to make 500 to 1000 ha cluster group. PGS-India certification is the basis for quality assurance.PKVY is a centrally sponsored scheme and funds are provided by central and state Governments in a ratio of60:40 in plain states and 90:10 in hilly states. PKVY and its sub-schemes are implemented in all states except 8 North Eastern States

Objectives

1. To promote natural resource based integrated and climate resilient sustainable farming system emphasizing on-farm nutrient recycling and minimizing dependenceon external inputs;
2. To reduce cost of cultivation
3. To sustainably produce chemical free and nutritious food
4. To protect environment from hazardous inorganic chemicals
5. To empower farmers through their own institutional development in the form of clusters and groups with capacity to manage production, processing, value addition and certificationmanagement;
6. To make farmers entrepreneurs through direct market linkages with local and national markets.

Component and pattern of assistance:

Component	Rs/ha for 3 years	Cost in Rs. per 20 ha cluster
Cluster formation and capacity building	3000	60,000/-
Deployment of manpower and management of implementation	4500	90,000/-
PGS Certification – Service charges to RC and residue analysis	2700	54,000
Incentive to farmers as DBT or as inputs	31,000	620,000
Marketing, packaging, space rent, transportation	1500/ha	30,000
Value addition infrastructure	2,000/ha	40,000
Brand building, trade fairs, publicity, marketing support	5300/ha	1,06,000
Total	50,000/ha	10,00,000

How to avail the benefits and join the scheme

Farmers interested for adoption of organic farming as long term goal can contact Director of Agriculture at state level and District Agriculture office of at local level. Under NamamiGange programme, 5 km belt along the river Ganges is also targeted for organic conversion. Farmers in these area also can contact their District Agriculture office.

1.1 भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP):

बीपीकेपी, पीकेवीवाई की एक उप-योजना है । इसका उद्देश्य पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देना है जो किसानों को बाहरी रूप से खरीदे गए इनपुट से स्वतंत्रता देता है और बड़े पैमाने पर बायोमास मल्चिंग, गाय के गोबर-मूत्र फॉर्मूलेशन के उपयोग पर प्रमुख तनाव के साथ ऑन-फार्म बायोमास रीसाइक्लिंग पर आधारित है; मिट्टी के वातन के लिए समय-समय पर काम करने वाली संयंत्र आधारित तैयारी और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी सिंथेटिक रासायनिक आदानों का बहिष्कार।

सहायता-घटक एवं पैटर्न :

घटक	रु./हेक्टेयर (3 वर्षों के लिए)	लागत (रु. में. प्रति 20 हेक्टेयर क्लस्टर)
1000 हेक्टेयर ब्लॉक स्तर संबंधी मैनपॉवर वितरण एवं प्रबंधन लागत	4,500	90,000
क्लस्टर निर्माण, क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण	3,000	60,000
पीजीएस प्रमाणन - क्षेत्रीय और अवशेष विश्लेषण संबंधी सेवा शुल्क	2,700	54,000
किसानों को डीबीटी या इनपुट के रूप में प्रोत्साहन	2,000	40,000
कुल	12,200/हेक्टेअर	2,44,000

1.2 बड़े क्षेत्र प्रमाणन (एलएसी)

पीकेवीवाई-एलएसी योजना के तहत राज्य अपने बड़े निकटवर्ती पारंपरिक/डिफ़ॉल्ट जैविक क्षेत्रों (जैसे आदिवासी क्षेत्रों, पहाड़ी जिलों आदि) को पीजीएस-प्रमाणन के तहत **प्रमाणित जैविक** में बदल सकते हैं। बिना कृषि-रासायनिक इनपुट उपयोग इतिहास वाले इस बड़े निकटवर्ती क्षेत्रों में एक गांव-एक समूह अवधारणा का उपयोग करके **प्रमाणित** में परिवर्तित किया जा सकता है। इस घटक के तहत, वित्तीय सहायता केवल प्रमाणन सुविधा के लिए @ रु. **2700/**हेक्टेयर तीन वर्ष की अवधि हेतु उपलब्ध है ।

1.3 एकल और छोटे किसान-समूह प्रमाणन

एकल और छोटे किसान समूह (5-50 किसान) जो स्वयं की जैविक खेती कर रहे हैं और किसी सरकारी योजना का हिस्सा नहीं हैं, वे भी प्रमाणन सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को अपने खेत को **जैविक** में बदलना होगा और राज्य कृषि विभाग और निकट की पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम के तहत क्षेत्रीय परिषद के अधीन पंजीकृत होना होगा। आवश्यक लागत (रु0. 2700/हेक्टेयर तक सीमित) तीन वर्षों तक सीधे प्रमाणीकरण प्राधिकारी को प्रतिपूर्ति की जाएगी। विवरण के लिए कृपया नजदीकी क्षेत्रीय परिषद से संपर्क करें। ऐसे क्षेत्रीय परिषद के नाम और संपर्क विवरण **https://pgsindia-ncof.gov.in/** वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।

2. पूर्वोत्तर क्षेत्र मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (MOVCDNER)

इस योजना का उद्देश्य उत्पादकों को उपभोक्ताओं के साथ जोड़ने के लिए मूल्य -श्रृंखला मोड में वाणिज्यिक जैविक खेती को बढ़ावा देना और संग्रह, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, विपणन और ब्रांड निर्माण के लिए सुविधाओं के निर्माण हेतु इनपुट, बीज, प्रमाणीकरण से प्रारंभ होने वाली संपूर्ण मूल्य -श्रृंखला के विकास में सहायता देना है। निकटवर्ती क्षेत्र के किसानों को 20 हेक्टेयर किसान हित समूहों के लिए एकत्रित किया जाता है और ऐसे 25 समूहों को किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) में एकत्रित किया जाता है। पूरी वैल्यू चेन उनके एफपीओ स्वामित्व के तहत बनाई जाती है।

MOVCDNER केंद्र सरकार से 100% वित्त पोषित एक केंद्रीय योजना है। यह योजना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य विशिष्ट **"जैविक मिशनों"** के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

1.1 Bhartiya Prakritik Krishi Paddhti (BPKP):

BPKP, a sub-scheme of PKVY is aimed at promoting traditional indigenous practices which gives freedom to farmers from externally purchased inputs and largely based on on-farm biomass recycling with major stress on biomass mulching, use of cow dung-urine formulations; plant based preparations time to time working for soil aeration and exclusion of all synthetic chemical inputs directly or indirectly.

Components and pattern of assistance

Component	Rs/ha for 3 years	Cost per cluster of 20 ha Rs.
Deployment of manpower and management cost for 1000 ha block level	4,500	90,000
Cluster formation, capacity building and trainings	3,000	60,000
PGS Certification – Service charges to RC and residue analysis	2,700	54,000
Incentive to farmers as DBT or as inputs	2,000	40,000
Total	12,200/ha	2,44,000

1.2 Large Area Certification (LAC)

Under PKVY-LAC scheme states can transform their large contiguous traditional/ default organic areas (such as tribal areas, hill districts etc) into certified organic through PGS-certification. In this large contiguous areas with no agro-chemical input usage history can be transformed into certified using one village-one group concept. Under this component financial assistance is available only for certification facilitation @ Rs. 2700/ha for three years.

1.3 Individual and Small Farmer group Certification

Individual and small farmer groups (5-50 farmers) doing organic farming of their own and not part of any Government scheme can also avail the certification assistance. For this, farmers need to transform their farm into organic and get registered with state Agriculture Department and nearby Regional Council of PGS-India program. Necessary cost limited to Rs. 2700/ha for three years will be reimbursed directly to certification authority. For details please contact nearby Regional Council. Names and contact details of such RCs can be seen from https://pgsindia-ncof.gov.in/

2. Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region (MOVCDNER)

The scheme aims at promotion of commercial organic farming in value chain mode to link growers with consumers and to support the development of entire value chain starting from inputs, seeds, certification, to the creation of facilities for collection, aggregation, processing, marketing and brand building. Farmers in contiguous area are aggregated for 20 ha farmer interest groups and 25 such groups are aggregated into Farmer Producer Organization (FPO). Entire value chain is created under their FPO ownership.

MOVCDNER
Crops Pure, Empowered Entrepreneur

MOVCDNER is a central sector scheme with 100% funding from central Govt. The scheme is being implemented by the respective state Governments through their state specific “Organic Missions”.

सहायता-घटक एवं पैटर्न :

घटक	दरें (3 वर्षों के लिए)	कुल (प्रति क्लस्टर/ 500 हेक्टेयर/एफपीओ)
एफपीओ गठन	4075/किसान	20.37 लाख
किसानों को इनपुट के लिए सहायता	15000/हेक्टेअर	75.00 लाख
बीज आपूर्ति	17500/ हेक्टेअर	87.50 लाख
कस्टम हायरिंग सेंटर		10 लाख/FPO
प्रशिक्षण, हैंडहोल्डिंग और प्रमाणन	10,000/ हेक्टेअर	10 लाख
एफपीओ के लिए संग्रह और एकत्रीकरण केंद्र	11.25 लाख/FPO	11.25 lakh/ FPO
एफपीओ को परिवहन वाहन	6.0 लाख	6.00 लाख/FPO
एकीकृत प्रसंस्करण इकाइयां	1-2 प्रति राज्य	600 लाख
पैक हाउस, कोल्ड-चेन	आवश्कता आधारित	18.75 लाख
मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रचार,	राज्य सरकार	19.00 लाख/FPO
परियोजना प्रबंधन राज्यों को 5% और राष्ट्रीय स्तर पर 0.5%		

फसल कटाई के बाद के घटक संबंधी पात्रता एवं फंडिंग पैटर्न

योजना के तहत बनाए गए एफपीओ या निजी उद्यमियों/कंपनियों के लिए फसल कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्यवर्धन घटकों के तहत सहायता उपलब्ध है। नीचे दिए गए लागत मानदंड तक सीमित वित्तीय सहायता एफपीओ को 75% और निजी संस्थाओं को 50% सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है। निजी संस्थाओं को सब्सिडी क्रेडिट- लिंक आधारित है।

घटक	कुल वित्तीय परिव्यय सीमा	उच्चतम स्वीकार्य सब्सिडी की अधिकतम राशि
एकीकृत प्रसंस्करण इकाई	रु. 800 लाख	600 लाख
एकीकृत पैक हाउस	रु. 50 लाख	37.25 लाख
रेफर वैन	रु. 26 लाख	18.75 लाख
शीत कक्ष, शीत कक्ष, पकाने वाले कक्ष आदि।	रु. 25 लाख	18.75 लाख
लघु प्रसंस्करण इकाइयां (टीएफओ 25 लाख)	रु. 25 लाख	18.75 लाख

सहायता कैसे प्राप्त करें

योजना में शामिल होने के इच्छुक पूर्वोत्तर राज्यों के किसान अपने राज्य जैविक मिशन से संपर्क कर सकते हैं। जानकारी जिला कृषि एवं उद्यान विभाग के कार्यालयों से भी प्राप्त की जा सकती है।

Components and pattern of assistance

Components	Rate for 3 years	Total per cluster of 500 ha /FPO
FPO formation	4075/farmer	20.37 lakh
Support for inputs to farmers	15000/ha	75.00 lakh
Seed supply	17500/ha	87.50 lakh
Custom Hiring centre		10 lakh/FPO
Training, handholding and certification	10,000/ha	10 lakh
Collection & aggregation centre for FPOs	11.25 lakh/FPO	11.25 lakh/ FPO
Transport vehicle to FPOs	6.0 lakh	6.00 lakh/FPO
Integrated processing units	1-2 per state	600 lakh
Pack house, cold chain	Need based	18.75 lakh
Marketing, branding, publicity,	State Govt.	19.00 lakh/FPO
Project management 5% to states and 0.5% at national level		

Postharvest component Eligibility and funding pattern

Assistance under postharvest handling and value addition components is open to FPOs created under the scheme or private entrepreneurs/ companies. Financial assistance limited to cost norm given below is provided as subsidy @ 75% to FPOs and 50% to private entities. Subsidy to private entities is credit linked.

Components	Total Financial outlay ceiling	Maximum amount of admissible subsidy
Integrated processing Unit	Rs. 800 lakh	600 lakh
Integrated pack house	Rs. 50 lakh	37.25 lakh
Refer van	Rs. 26 lakh	18.75 lakh
Cold room, cold chamber, ripening chamber etc	Rs. 25 lakh	18.75 lakh
Small processing units (TFO 25 lakh)	Rs. 25 lakh	18.75 lakh

How to avail the assistance

Farmers of NER states willing to join the scheme can contact their state Organic Mission. Information can also be obtained from District Agriculture and Horticulture Department offices.